प्रेस नोट
दिनांक 11.05.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–81/2025, धारा 180,85 बीएनएस व 3/4 डीपी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तो–01. पाटनदीन पुत्र शिवराज, 02. शिवराज पुत्र स्व0 जोखू गुप्ता निवासीगण कस्बा महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को मंगल प्रसाद मिष्ठान भण्डार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 05.05.2025 को वादी रामप्रीत पुत्र रामधीरज नि0 ग्राम टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि कि उसकी लड़की की शादी थाना खरगूपुर के रहने वाले पाटनदीन पुत्र शिवराज के साथ हुई थी। पति व उसके परिजनों की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर उसकी बेटी द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 11.05.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तो–01. पाटनदीन पुत्र शिवराज, 02. शिवराज पुत्र स्व0 जोखू गुप्ता निवासीगण कस्बा महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को मंगल प्रसाद मिष्ठान भण्डार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. पाटनदीन पुत्र शिवराज नि0 कस्बा महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा
02. शिवराज पुत्र स्व0 जोखू गुप्ता नि0 कस्बा महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–81/2025, धारा 180,85 बीएनएस व 3/4 डीपी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय।
02. हे0का0 मुनव्वर अली।
03. हे0का0 पप्पू सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.05.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुए राजीः–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोडे को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण–

महिला थाना प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मोर्या, म0आ0 ज्योति नेहा सिंह, म0आ0 कुसुम सिंह,म0आ0 पूनम वर्मा म0आ0 उमा देवी, म0आ0 वितीना यादव आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 11.05.2025</u>

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0–418/24, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 वसीम पुत्र मो0 तस्लीम नि0 मोहल्ला मनहारन चक वार्ड न0 9 थाना को0 टाण्डा जनपद रामपुर को गौरिया तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 11.05.2025 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 बृजेश कुमार चौबे मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिए मुखबिर खा सूचना प्राप्त हुई कि गौंवशीय पशुओं से लदी पिकअप डुमरियाडीह चौराहे के पास बने मंदिर के गोलम्बर से टकराकर पलट गयी थी उसका वांछित अभियुक्त गौरिया तिराहे के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल उ0नि0 बृजेश कुमार चौबे मय हमराह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त मो0 वसीम पुत्र मो0 तस्लीम नि0 मोहल्ला मनहारन चक वार्ड न0 9 थाना को0 टाण्डा जनपद रामपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 वसीम पुत्र मो0 तस्लीम नि0 मोहल्ला मनहारन चक वार्ड न0 9 थाना को0 टाण्डा जनपद रामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–418/24, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
02. का0 नवनीत गौरव सिंह।
03. का0 भूपेन्द्र प्रताप।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>